भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2599**
गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय संपर्क योजना शुल्क

2599. श्री ए. राजा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ान में उड़ानों की संख्या 01 अप्रैल, 2023 की तिथि से तीन गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमान कंपनियों का यात्रियों के हवाई किराया में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जिससे हवाई यात्रा आम लोगों के लिए अवहनीय हो जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आम लोगों के हित में आरसीएस शुल्क बढ़ाने पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है जिन्हें विभिन्न आकस्मिकताओं के कारण हवाई यात्रा करनी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) से (ङ): अल्प-परिचालित तथा अपरिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय संपर्क को प्रोत्साहित करने तथा हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए 21.10.2016 को आरसीएस-उड़ान योजना आरंभ की गई है। उड़ान एक स्ववित्तपोषित योजना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में स्थित मार्गों पर उड़ानों के प्रस्थानों को छोड़कर, 40 टन से अधिक एमटीओडब्ल्यू (अधिकतम टेक ऑफ वजन) वाले विमानों पर, प्रत्येक प्रस्थान पर 5,000/- रुपये का शुल्क लगाकर, क्षेत्रीय संपर्क निधि (आरसीएफ) तैयार की जाती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), जो कार्यान्वयन एजेंसी है, उड़ान दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार उड़ानों के प्रचालन के लिए, इस आरसीएफ से, चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करता है। चयनित एयरलाइन ऑपरेटर (एसएओ) को, उड़ान योजना के अधीन, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) संवितरित किया जाता है। उड़ान मार्गों के प्रचालन में वृद्धि के कारण बढ़े हुए वीजीएफ परिव्यय को पूरा करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से, आरसीएस (क्षेत्रीय संपर्क योजना) शुल्क को 01.01.2023 से 10,000/- रुपये तथा 01.04.2023 से 30.04.2027 तक के लिए 15,000/- रुपये कर दिया है। एयरलाइनें, अपनी निर्धारित तंत्र के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

******